दिनांक–10.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं आया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद धारा 5 परिसीमा अधिनियम के निस्तारण हेतु नियत चल रही है। उक्त प्रकीर्णवाद में प्रार्थी बल देने हेतु उपस्थित नहीं आ रहा है। प्रकीर्ण वाद वर्ष 2025 से लम्बित है।

उपर्युक्त तथ्य–परिस्थितियों के प्रकाश में प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद को विचाराधीन रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं.26/2025 अजय कुमार –प्रति– श्रीमती सुमन सिंह, प्रार्थी की ओर से बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली अभिलेखागार पारेषित हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं.1
प्रयागराज।